उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2014 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 225

बख्शीश सिंह .....संशोधनवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य ..... प्रतिवादी

प्रस्तुति: श्री एम.के. रे, संशोधनवादी/अभियुक्त के वकील।
श्री एस.टी. भारद्वाज, उप. सुश्री शिवांगी गंगवार के साथ ए.जी., ब्रीफ होल्डर फॉर राज्य।

माननीय लोक पाल सिंह, जे.

यह आपराधिक पुनरीक्षण 2011 के आपराधिक मामले संख्या 342 "बख्शीश सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य" में विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा, उधम सिंह नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.09.2011 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत पुनरीक्षणकर्ता को दोषी ठहराया गया है। आईपीसी की धारा 354, 504 और 427 के तहत दोषी ठहराया गया और उपरोक्त धाराओं के तहत डिफ़ॉल्ट शर्त के साथ 1,000/- रुपये (केवल एक हजार रुपये) के जुर्माने के साथ छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दिनांक 06.09.2011 के आदेश के विरुद्ध, पुनरीक्षणकर्ता ने आपराधिक अपील संख्या 124/2011 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खटीमा, उधम सिंह नगर के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी आदेश दिनांक 12.09.2014 द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण।

2. अभियोजन की कहानी संक्षेप में यह है कि 24.03.2009 को, शिकायतकर्ता की बेटी, (नाम छुपाया गया) लगभग 8:15 बजे अपनी कक्षा 11वीं की परीक्षा देने के लिए प्राइमरी स्कूल के पास, "गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज" जा रही थी। खमरिया, आरोपी/पुनरीक्षणवादी बख्शीश सिंह ने पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार किया और उसे गलत इरादे से पकड़कर उसके कपड़े फाड़ दिए और पीड़िता के

खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो गुरमेज सिंह और गुरमीत सिंह ने उसे आरोपी बख्शीश सिंह से बचाया। इस घटना की रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में थाना प्रतापपुर, खटीमा, उधम सिंह नगर को दी गयी। जांच के बाद, जांच अधिकारी ने संबंधित अदालत के समक्ष आईपीसी की धारा 354, 504 और 427 के तहत आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उसने अपराध से इनकार किया।

3. अपराध से इनकार करने पर, अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों यानी पीडब्लू-1 (शिकायतकर्ता), पीडब्लू-2 (पीड़ित), पीडब्लू-3 गुरमीत सिंह पुत्र बाघ सिंह, पीडब्लू-4 गुरमेज सिंह और पीडब्लू- से पूछताछ की। 5 एस.आई. पूरणराम अंगारी।

4. ट्रायल कोर्ट ने पक्षों को सुनने और सबूतों के अवलोकन के बाद, दिए गए फैसले और आदेश के तहत आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता को उपरोक्त के अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई। व्यथित महसूस करते हुए, अभियुक्त/पुनरीक्षणकर्ता ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खटीमा, उधम सिंह नगर के समक्ष अपील दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया है।

5. अभियुक्त/संशोधनकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि पुनरीक्षणकर्ता को तत्काल अपराध में झूठा फंसाया गया है। वह आगे कहेंगे कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में बहुत सारे विरोधाभास हैं। उनका यह भी कहना है कि अभियोजन पक्ष के अधिकांश गवाह पीडब्लू-1 गुरमीत सिंह के रिश्तेदार हैं, जो मामले के मुखबिर हैं, और इसलिए, वे इच्छुक गवाह हैं।

6. दूसरी ओर, विद्वान राज्य वकील का कहना है कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेश उचित और उचित हैं, और इसलिए, पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है।

7. रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों की दोबारा सराहना करने और पक्षों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि आईपीसी की धारा 354, 504 और 427 का कोई भी तत्व संशोधनकर्ता/अभियुक्त

के खिलाफ नहीं बनता है। . ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने उपरोक्त धाराओं के तहत पुनरीक्षणवादी को दोषी ठहराने और सजा देने में घोर अवैधता की है।

8. परिणामस्वरूप, आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति दी जाती है। नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 06.09.2011 और 12.09.2014 को रद्द किया जाता है।

9. इस निर्णय की एक प्रति आगे के अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

10. निचली अदालत का रिकॉर्ड भी संबंधित अदालत को वापस भेजा जाए।

(लोकपाल सिंह, जे.)
14.01.2021